



Rera website : up-rera.in

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

लाया है

विशेष पंजीकरण योजना-3.0 'विस्तार'

व 'पहले आओ-पहले पाओ' के माध्यम से

विभिन्न योजनाओं में फ्लैट्स प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

सिद्धार्थ विहार । मंडोला । वसुंधरा योजना, गाजियाबाद

अवध विहार योजना । वृन्दावन योजना, राजाजीपुरम, लखनऊ

अम्बेडकरपुरम योजना नं.-3, कल्याणपुर, कानपुर

मझोला योजना संख्या-4 भाग-2, मुरादाबाद

जागृति विहार योजना संख्या-11, मेरठ

शाकुंभरी विहार योजना, सहारनपुर

सिकंदरा योजना, आगरा



**ऑनलाइन
पंजीकरण की तिथि
दिनांक 25.04.2025 से
30.05.2025 तक**

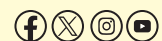
संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी
विस्तृत जानकारी के लिए डायल करें
(टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333
☎ 0522-2236803

5% off

60 दिन में
एकमुश्त भुगतान पर

विशेष आकर्षण

- प्राथमिकता के आधार पर फ्लैट का चयन करने की सुविधा अनुमन्य ।



UPHousingBoard

www.upavp.in

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

विशेष पंजीकरण योजना-3.0 'विस्तार' में उपलब्ध प्लैट्स का विवरण

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद

गंगा, यमुना/हिंडन एन्क्लेव (UPRERAPRJ11354, UPRERAPRJ10438, UPRERAPRJ759686)

1 बीएचके ₹ 36.38 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 63.59 - 64.77 कुल प्लैटों की संख्या 16	3 बीएचके + स्टडी ₹ 99.63 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 167.88 - 168.10 कुल प्लैटों की संख्या 50	3 बीएचके+स्टडी+टेरेस ₹ 1.11 करोड़ से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 167.95 + (T) 21.02 कुल प्लैटों की संख्या 05	4 बीएचके+स्टडी ₹ 1.13 करोड़ से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 192.17 - 192.32 कुल प्लैटों की संख्या 18
3 बीएचके ₹ 1.00 करोड़ से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 127.71 कुल प्लैटों की संख्या 120	पेंट हाउस (रूबी+टेरेस) ₹ 1.45 करोड़ से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 213.23+(T) 46.52 कुल प्लैटों की संख्या 01	पेंट हाउस (पर्ल+टेरेस) ₹ 1.14 करोड़ से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 167.85+(T) 36.87 कुल प्लैटों की संख्या 01	

सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद

ई.डब्ल्यू.एस. (4 मंजिला) (UPRERAPRJ759686) ₹ 11.65 लाख से ₹ 17.60 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 30.72 कुल प्लैटों की संख्या 89	ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव (एलआईजी) (UPRERAPRJ7938) ₹ 29.82 लाख से ₹ 36.39 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 47.73 कुल प्लैटों की संख्या 319
---	---

पहले आओ पहले पाओ सुविधा उपलब्ध

मण्डोला योजना, गाजियाबाद

(UPRERAPRM4243)

आसरा I, II (ईडब्ल्यूएस) ₹ 7.79 लाख से ₹ 22.18 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 33.59 से 47.73 तक कुल प्लैटों की संख्या 1902	ईडब्ल्यूएस मण्डोला ₹ 8.87 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 28.41 कुल प्लैटों की संख्या 338	सपना I, II मण्डोला (एलआईजी) ₹ 26.53 लाख से ₹ 36.92 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 64.27 से 86.04 तक कुल प्लैटों की संख्या 472
---	---	---

पहले आओ पहले पाओ सुविधा उपलब्ध

गुलमोहर एन्क्लेव (1 बीएचके) ₹ 12.88 लाख से ₹ 14.42 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 34.07 कुल प्लैटों की संख्या 902	गुलमोहर एन्क्लेव (2 बीएचके) ₹ 21.04 लाख से ₹ 24.29 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 56.11 कुल प्लैटों की संख्या 793
---	---

वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद

शिखर एन्क्लेव - UPRERAPRJ7849

2 बीएचके ₹ 77.50 लाख से शुरु क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 106.21 कुल प्लैटों की संख्या 09
--

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

विशेष पंजीकरण योजना-3.0 'विस्तार' में उपलब्ध फ्लैट्स का विवरण

जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ

F32 टाइप-2012 (UPRERAPRJ9757) ₹8.24 लाख से ₹10.59 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 32.95 177	F32 टाइप-2014 (UPRERAPRJ8354) ₹8.61 लाख से ₹11.14 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 32.95 46	F32 टाइप-2015-16 (UPRERAPRJ8381) ₹9.82 लाख से ₹12.65 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 32.95 554	एफ 57 टाइप 2015-16 (UPRERAPRJ8052) ₹18.88 लाख से ₹ 21.30 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 57.84 338
एफ 64 टाइप 2012 (UPRERAPRJ8868) ₹22.21 लाख से ₹24.73 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 64.24 60	एफ 64 टाइप 2014 (UPRERAPRJ8915) ₹19.87 लाख से ₹23.93 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 64.24 16	एफ 64 टाइप 2015-16 (UPRERAPRJ9531) ₹23.43 लाख से ₹26.99 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 64.24 253	एफ 100 टाइप 2012 (UPRERAPRJ8925) ₹40.97 लाख क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 99.84 31
एफ 127 टाइप 2012 (UPRERAPRJ8375) ₹40.28 लाख क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 126.81 1			

मझोला योजना-4, भाग-2 मुरादाबाद

1 बीएचके (UPRERAPRJ9483) ₹ 18.16 लाख से ₹ 18.71 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 34.07 38	2 बीएचके (UPRERAPRJ9476) ₹ 29.69 लाख से ₹ 33.98 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 56.11 62
---	---

शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर (सेक्टर 2A)

F 45 (G+3 फ्लैट्स) (UPRERAPRJ8077) ₹17.30 लाख से ₹18.95 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 44.97 73	F70 (G+3 फ्लैट्स) (UPRERAPRJ8102) ₹ 26.77 लाख से ₹ 29.33 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 69.71 91
--	---

अंबेडकरपुरम योजना, संख्या-3, कल्याणपुर, कानपुर

गंगा एनक्लेव (UPRERAPRJ9530)

पहले आओ पहले पाओ सुविधा उपलब्ध

3 बीएचके टाइप-I, ब्लॉक-1 ₹ 84.08 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 132.15 37	3 बीएचके टाइप-II, ब्लॉक-1 ₹ 84.55 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 132.88 13	2 बीएचके टाइप-I, ब्लॉक-2 ₹ 64.77 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 101.79 56	ब्रह्मावर्त अपार्टमेंट (टाइप F-82) (UPRERAPRJ10228) ₹49.43 लाख से ₹53.77 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 82.22 41
2 बीएचके टाइप-I, ब्लॉक-3 ₹ 64.77 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 101.79 55	2 बीएचके+ स्टडी टाइप-II (ब्लॉक-3) ₹ 78.32 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 123.09 39	2 बीएचके+ स्टडी टाइप-II, ब्लॉक-2 ₹ 78.32 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल फ्लैटों की संख्या 123.09 39	

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

विशेष पंजीकरण योजना-3.0 'विस्तार' में उपलब्ध प्लैट्स का विवरण

अवध विहार योजना, लखनऊ

पहले आओ पहले पाओ सुविधा उपलब्ध

सरयू एन्क्लेव 1 बीएचके टाइप A (A1, A2, B1) UPRERAPRJ4707, UPRERAPRJ6824 ₹24.19 लाख से ₹24.66 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 41.36 से 41.47 तक 411	सरयू एन्क्लेव 1 बीएचके टाइप B UPRERAPRJ4707, UPRERAPRJ6824 ₹31.13 लाख से ₹32.07 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 54.21 65	सरयू एन्क्लेव 2 बीएचके टाइप- A (D1, D2, E1, E2) UPRERAPRJ4707, UPRERAPRJ6824 44.98 लाख से ₹45.94 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 78.52 से 78.62 तक 137	सरयू एन्क्लेव 2 बीएचके स्टोर UPRERAPRJ4707, UPRERAPRJ6824 ₹66.52 लाख से ₹68.52 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 105.17 71
गोमती एन्क्लेव 1 बीएचके टाइप A UPRERAPRJ4976 ₹21.66 लाख से ₹22.31 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 40.15 61	गोमती एन्क्लेव 2 बीएचके टाइप- A UPRERAPRJ4976 ₹42.28 लाख से ₹43.55 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 78.39 64	गोमती एन्क्लेव 1 बीएचके टाइप B (UPRERAPRJ4976) ₹29.06 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 53.88 31	वरुणा (ईडब्ल्यूएस (G+3) प्लैट्स) (UPRERAPRJ4846) ₹14.05 लाख से ₹17.48 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 37.35 46
गंगोत्री F -64 (एमआईजी) (UPRERAPRJ10200) ₹36.65 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 64.80 26	गंगोत्री F -84 (एचआईजी) (UPRERAPRJ10200) ₹47.43 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 85.53 18	राप्ती एन्क्लेव (एलआईजी) (UPRERAPRJ10208) ₹20.33 लाख से ₹25.75 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 47.38 21	अलकनंदा (एसएफएस 2 बीएचके +स्टडी) UPRERAPRJ8433 ₹84.83 लाख से ₹87.37 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 125.28 60
नंदनी F -64 (एमआईजी) (UPRERAPRJ9915) ₹34.84 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 63.50 17	नंदनी F -84 (एचआईजी) (UPRERAPRJ9915) ₹49.48 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 84.10 20	भागीरथी एसएफएस 3 बीएचके+सर्वेंट टाइप-G, H (UPRERAPRJ10537) ₹96.55 लाख से ₹99.44 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 156.45 से 161.14 तक 14	अलकनंदा एसएफएस 3 बीएचके +सर्वेंट UPRERAPRJ8433 ₹1.02 करोड़ से ₹1.03 करोड़ तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 149.13 से 158.86 तक 231
जानवी एन्क्लेव 1 बीएचके टाइप-A UPRERAPRJ8635 ₹17.60 लाख से ₹21.28 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 37.34 24	जानवी एन्क्लेव 1 बीएचके सुपर टाइप-B UPRERAPRJ8600 ₹21.92 लाख से ₹25.48 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 47.97 14	मंदाकिनी टाइप-C एसएफएस 2 बीएचके +स्टडी (UPRERAPRJ10618) ₹83.95 लाख से ₹86.47 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 130.52 34	एसएफएस 2 बीएचके मंदाकिनी टाइप B1, A, B UPRERAPRJ10618 ₹69.67 लाख से ₹81.46 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 120.36 से 122.97 तक 135
भागीरथी एसएफएस 3 बीएचके टाइप-E, F (UPRERAPRJ10537) ₹89.68 लाख से ₹93.80 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 145.34 से 147.57 तक 61			

पहले आओ पहले पाओ सुविधा टाइप B पर उपलब्ध नहीं है

पहले आओ पहले पाओ सुविधा टाइप B पर उपलब्ध नहीं है

वृन्दावन योजना, लखनऊ

पहले आओ पहले पाओ सुविधा उपलब्ध

अरावली (3 बीएचके) B1, B2, S (UPRERAPRJ4308) ₹84.67 लाख से ₹97.44 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 153.63 से 173.78 तक 208	नीलगिरी एन्क्लेव (1 बीएचके) (UPRERAPRJ10422) ₹40.88 लाख से ₹42.11 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 63.28 14	सपना -I (एलआईजी) ₹25.00 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 64.27 01
गोवर्धन एन्क्लेव 1 बीएचके टाइप-A, B (UPRERAPRJ4769) ₹19.94 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 51.77 61	गोवर्धन एन्क्लेव (2 बीएचके) टाइप-A, B (UPRERAPRJ-4769) ₹38.16 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) कुल प्लैटों की संख्या 77.57 116	

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

विशेष पंजीकरण योजना-3.0 'विस्तार' में उपलब्ध प्लैट्स का विवरण

वृन्दावन योजना, लखनऊ

पहले आओ पहले पाओ सुविधा उपलब्ध

हिमालय (1 बीएचके) ₹ 53.75 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 69.06	कुल प्लैटों की संख्या 08	हिमालय (एलआईजी) 2 बीएचके + S ₹ 68.13 लाख से ₹ 80.17 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 97.67 से 118.33	कुल प्लैटों की संख्या 41	हिमालय (3 बीएचके) + S ₹ 93.00 लाख से ₹ 1 करोड़ तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 142.5	कुल प्लैटों की संख्या 6	एवरेस्ट एन्क्लेव (3 बीएचके) + सर्वेड UPRERAPRJ4744 ₹ 1.26 करोड़ से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 196.25	कुल प्लैटों की संख्या 31
कैलाश एन्क्लेव (2 बीएचके) (UPRERAPRJ9456) ₹ 46.63 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 74.47	कुल प्लैटों की संख्या 169	कैलाश एन्क्लेव (3 बीएचके) (UPRERAPRJ9456) ₹ 53.00 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 87.57	कुल प्लैटों की संख्या 143	एवरेस्ट एन्क्लेव (4 बीएचके) + सर्वेड UPRERAPRJ4744 ₹ 1.47 करोड़ से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 219.67	कुल प्लैटों की संख्या 78		

गोकुल ग्राम योजना (मुन्नू खेड़ा), राजाजीपुरम

पहले आओ पहले पाओ सुविधा उपलब्ध

ईडब्ल्यूएस (G+3) ₹ 12.59 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 37.35	कुल प्लैटों की संख्या 361	एलआईजी (G+3) ₹ 17.10 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 47.38	कुल प्लैटों की संख्या 464
---	--	---	--

गोकुल ग्राम योजना (बीबी खेड़ा), राजाजीपुरम

पहले आओ पहले पाओ सुविधा उपलब्ध

ईडब्ल्यूएस (G+3) ₹ 11.69 लाख से शुरू क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 30.57	कुल प्लैटों की संख्या 87
---	---

सिकन्दरा योजना, आगरा

ग्रीन एनक्लेव

2 बीएचके
(UPRERAPRJ8201)

₹ 64.00 लाख से ₹ 67.20 लाख तक क्षेत्रफल (वर्ग. मी.) 113.41	कुल प्लैटों की संख्या 78
---	---

पंजीकरण हेतु पात्रता, नियम एवं शर्तें

- आवेदक भारत का नागरिक हो।
- आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को 18 वर्ष से कम न हो।

पंजीकरण धनराशि/भुगतान का तरीका/आवंटन/ कब्जा संबंधी कार्यवाही/धनराशि की वापसी

- पंजीकरण धनराशि फ्लैट के निर्धारित मूल्य की 05 प्रतिशत होगी। पंजीकरण धनराशि के भुगतानोपरान्त आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।
- नकद भुगतान पद्धति पर फ्लैटों को आवंटित किया जायेगा।
- पंजीकरण धनराशि परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से **RTGS/NEFT/ ऑनलाइन माध्यम से** जमा की जा सकती है। प्रदेशन पत्र में अंकित समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगा।
- पंजीकरण होने के पश्चात फ्लैट के मूल्य का सत्यापन जोन के स्तर से कराने के उपरान्त ही आवंटन/मांग पत्र जारी किया जाएगा।
- फ्लैट का कब्जा सम्पत्ति के पूर्ण भुगतान के पश्चात शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- परिषद में इम्पैनल्ड बैंकों द्वारा भी अपने स्तर से इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा।
- एक ही श्रेणी के समान तल के फ्लैट के सापेक्ष संख्या से अधिक पंजीकरण प्राप्त होने की दशा में आवंटन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
- पंजीकरण के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत होने से पूर्व फ्लैट के मूल्य का परीक्षण सम्पत्ति प्रबन्धक के स्तर से किया जाएगा। फ्लैट की स्थिति के अनुरूप पी.एल.सी. व अन्य विविध शुल्क की अतिरिक्त धनराशि नियमानुसार देय होगी। जोनल अधिकारी के स्तर से यह सत्यापित किया जाएगा कि फ्लैटों का मूल्य मूल मूल्यांकन से कम न हो। यदि मूल्य में कोई घटोत्तरी/बढ़ोत्तरी होती है तो फ्लैट के मूल्य में तदानुसार संशोधन किया जा सकेगा।
- लाटरी में असफल आवेदक को उसी एन्क्लेव के अन्य तल के फ्लैट का आवंटन उसकी सहमति के आधार पर किया जा सकता है। यदि आवेदक लाटरी में असफल होने के पश्चात धनराशि की वापसी चाहता है तो रिफण्ड की कार्यवाही की जाएगी। असफल आवेदक को उसकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासंभव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किये गये बचत खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
- यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/ आवंटन/ निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटि द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।
- “विशेष पंजीकरण योजना-तृतीय चरण” में प्राप्त आवेदनों में से जिन आवेदकों को उनके द्वारा इच्छित फ्लैट उपलब्ध नहीं होंगे तो उनकी पंजीकरण धनराशि बिना कटौती बिना ब्याज वापस किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदत्त छूट

- 60 दिन में एकमुश्त भुगतान करने पर फ्लैट के कुल मूल्य पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।
- उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।

पंजीकरण के नियम

- ऑन-लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in के मुखपृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration For Plots/Houses/Flats" पर क्लिक करेंगे।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के योजनावार पंजीकरण हेतु उपलब्ध लिंक्स में जिस योजना में आवेदन करना है, उस पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना की समस्त जानकारियां भली-भांति पढ़कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक करना होगा। तदानुसार परिषद द्वारा निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर सॉफ्टवेयर द्वारा ई-अण्डरटेकिंग ली जाएगी। ई-अण्डरटेकिंग प्राप्ति के उपरान्त ही पेमेण्ट करना होगा।
- पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।
- बुकिंग धनराशि जमा करने के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा।
- रिक्त फ्लैट्स का आवंटन जहां है जैसे है के आधार पर किया जाएगा।

अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना/शर्त:-

- चूंकि यह योजना आवासीय है, अतः सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन हेतु किया जायेगा। आवंटी को भवन में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन अनुमत्त नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय-विलेख एवं आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
- पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में जिलाधिकारी/अपरजिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा अनापत्ति शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा व्यक्ति उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।
- परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
- जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।
- शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर किये गये परिवर्तन लागू होंगे। इस सम्बन्ध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- किसी भी सम-सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा।
- उक्त नियम एवं शर्तों के अतिरिक्त किसी अन्य परिस्थिति के उत्पन्न होने पर परिषद विनियमावली 2016 में उल्लिखित नियम व शर्तें प्रभावी मानी जाएंगी।

विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क अधिकारी / कर्मचारी संपर्क

गाजियाबाद		
सिद्धार्थ विहार योजना / मण्डोला विहार योजना		
श्री नृपेन्द्र बहादुर सिंह (सम्पत्ति प्रबन्धक)		+91 8795811528
कानपुर		
गंगा एन्क्लेव अंबेडकरपुरम योजना / ब्रह्मावर्त एन्क्लेव		
श्री आनन्द कुमार (सम्पत्ति प्रबन्धक)		+91 8189081083
मेरठ (जागृति विहार योजना)		
श्री सुनील कुमार शर्मा (सम्पत्ति प्रबन्धक)		+916390900133
सहारनपुर (शाकुम्भरी विहार योजना)		
श्री महामहिन्द (सम्पत्ति प्रबन्धक)		+918189081070
मुरादाबाद (मझोला योजना)		
श्री प्रवीन सिंह रावत (सम्पत्ति प्रबन्धक)		+918189081113
आगरा (सिकन्दरा योजना)		
श्री सुशील कुमार (सम्पत्ति प्रबन्धक)		+91 8189081073
लखनऊ		
वृन्दावन योजना		
श्री आनन्द कुमार गौतम (सम्पत्ति प्रबन्धक)		+91 8189081075
अवध विहार योजना		
श्री बृजेश कुमार (सम्पत्ति प्रबन्धक)		+91 8189081118

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

बैंक का नाम	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष नं०
मेसर्स ICICI बैंक	श्री सौरभ त्रिवेदी	9454850549



संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए
परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर लॉग इन करें या डायल करें
(टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333, 0522-2236803

रेरा संबंधी जानकारी हेतु www.up-rera.in का अवलोकन करें।